



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Regional Office, Lucknow

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

Under Ministry of Education, Govt. of India

Website : <https://rolucknow.kvs.gov.in/>



पत्रांक 26230(पेंशन अदालत)/2022-23/क्षे.का. लखनऊ/ 43958

दिनांक -13.03.2023  
(ई-मेल द्वारा)


### सूचना (Notice)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली के पत्र संख्या F.110230(Misc.)2022-KVS(HQ)/P&I/2144 दिनांक 10.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का, वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों की सीमा के अन्तर्गत तुरंत निपटान करने के लिए मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन (ऑनलाइन माध्यम से) किया जाना है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ऐसे सभी पेंशनभोगियों, जिनके PPO के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी किये गये हैं, से अनुरोध है कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो संलग्न प्रपत्र में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की ई-मेल [pensionadalatkvsrolko@gmail.com](mailto:pensionadalatkvsrolko@gmail.com) में दिनांक 20.03.2023 अपराह्न 02.30 बजे तक प्रेषित करें एवं यदि शिकायत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली स्तर से संबंधित हो तो दिनांक 15.03.2023 सायं 05:30 बजे तक प्रेषित करें।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस पेंशन अदालत के अन्तर्गत केवल उन्हीं शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा जो कि वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों आदि की सीमा (within the purview of extant Pension Policy/ Rules/ Guidelines etc.) में आती हैं।

दिनांक 22 मार्च 2023 को ऑनलाइन माध्यम से होने वाली पेंशन अदालत का लिंक संबंधित पेंशनभोगी शिकायतकर्ता की ई-मेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा।

  
(देवेन्द्र कुमार द्विवेदी)  
उपायुक्त